143 मिनी रत्न कंपनियों की संस्था नियमावली में संशोधन–लोक उद्यम विभाग का अनुमोदन

कृपया मिनीरत्न के रूप में श्रेणीकृत लाभ कमाने वाले लोक उद्यमों को वित्तीय और प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करने वाले लोक उद्यम विभाग के तारीख 9.10.97 के का ज्ञा. सं. 11/36/97–वित्त का अवलोकन करें।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 4 में उल्लेख था "विभिन्न एजेंसियों में निहित निर्णय लेने की शक्तियों में लोक उद्यमों को प्रस्तावित शक्तियों के प्रत्योजन को प्रभावी बनाने के लिए परिवर्तन किया जाएगा और आवश्यक होने पर संबंधित विभागों द्वारा नियमों, अधिसूचना, अनुदेशों, संस्था नियमावली/संगम ज्ञापन आदि में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।" विभाग को विधीक्षा/अनुमोदन हेतु संस्था नियमावली/संगम ज्ञापन के संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। उन्हें अनुमोदित किया जा सके। एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि ये संशोधन लोक उद्यम विभाग को भेजे बिना और कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के बाद प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से लोक उद्यम द्वारा किए जाएंगे।

(लो.उ.वि. का.ज्ञा.सं. लो.उ.वि./13 (26)/98–वित्त. जी II, दिनांकः 27 नवम्बर, 1998)